कृषि विश्वविद्यालय, कोटा

प्रबन्ध मण्डल की ईक्कीसवीं बैठक की कार्यवाही विवरण

कृषि विश्वविद्यालय, कोटा के प्रबन्ध मण्डल की इक्कीसवीं बैठक दिनांक 12.06.2023 (सोमवार) को दोपहर 02:30 बजे प्रो. ए.के. व्यास, माननीय कुलपति की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में निम्न सदस्यों ने भाग लिया : –

1. डॉ. (प्रो.) अभय कुमार व्यास, माननीय कुलपति एवं अध्यक्ष, प्रबन्ध मण्डल, कृ.वि., कोटा।
2. श्री रामनारायण मीणा, माननीय विधायक, पीपल्दा।
3. प्रो. एल.एन. हर्ष, पूर्व कुलपति, कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर
4. डॉ. सीताराम शर्मा, प्रमुख वैज्ञानिक (प्रतिनिधि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली)
5. श्री लोकेन्द्र सिंह, ट्रेजरी ऑफिसर, कोटा (प्रतिनिधि वित्त विभाग, राजस्थान सरकार)
6. श्री चौथमल नागर, 10/76, कृष्णा नगर, रंगवाडी, कोटा
7. श्रीमति रूकमणी मीणा, 1 यू 18, तंलवडी, कोटा
8. डॉ. आई.बी. मौर्य, अधिष्ठाता, उद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालय, झालावाड़।
9. डॉ. प्रताप सिंह, निदेशक अनुसंधान, कृषि विश्वविद्यालय, कोटा।
10. डॉ. डी. के. सिंह, प्रोफेसर, वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष, कृषि विज्ञान केन्द्र, अंता।
11. श्री रामधन रैगर, वित्त नियंत्रक एवं विशेष आमंत्रित सदस्य, कृषि विश्वविद्यालय, कोटा।
12. श्री नरेन्द्र कुमार जैन, कुलसचिव एवं सचिव, प्रबंध मण्डल, कृषि विश्वविद्यालय, कोटा।

उक्त बैठक में श्रीमान प्रमुख शासन सचिव (कृषि) राजस्थान सरकार जयपुर, श्रीमान प्रमुख शासन सचिव (पशुपालन) राजस्थान सरकार जयपुर, श्रीमान सचिव (उच्च एवं तकनीकी शिक्षा) राजस्थान सरकार जयपुर, डॉ. (प्रो.) डी.पी.जारोली, प्रख्यात शिक्षाविद् एवं श्री बंजरग कुमार साबू, उद्योगपति उपस्थित नहीं हो सके।

बैठक में डॉ. सीताराम शर्मा, प्रमुख वैज्ञानिक (प्रतिनिधि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली) तथा प्रथम बार नवनियुक्त सदस्य प्रख्यात शिक्षाविद् प्रो. एल.एन. हर्ष, पूर्व कुलपति, कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर ऑनलाईन उपस्थित हुए, जिनका कुलसचिव द्वारा स्वागत किया गया।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से विभिन्न कार्यसूचियों पर चर्चा उपरांत निम्न निर्णय लिए गए –

बोम–21/2023/01: राज्य सरकार द्वारा लागू की गई बजट घोषणा के अनुसार दिनांक 01 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त कार्मिकों द्वारा नवीन पेंशन योजना के स्थान पर राजकीय उपक्रमों/स्वायत्तशासी निकायों/विश्वविद्यालय आदि संस्थाओं में, *जहां एनपीएस लागू थी या कोई भी योजना लागू नहीं थी, के सम्बन्ध में पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस)* लागू करने के सम्बन्ध में राज्य सरकार से प्राप्त दिशा–निर्देश विश्वविद्यालय में लागू किए जाने बाबत।

निर्णय : श्रीमान शासन सचिव, वित्त (बजट), वित्त विभाग (नियम अनुभाग), राजस्थान सरकार, जयपुर द्वारा क्रमांक प.13 (12) वित्त (नियम)/2021 जयपुर दिनांक 20.04.2023 के तहत राजकीय उपक्रमों/स्वायत्तशासी निकायों/विश्वविद्यालय आदि संस्थाओं में, जहां एनपीएस लागू है या कोई भी योजना लागू नहीं थी, के सम्बन्ध में पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) लागू करने के सम्बध में प्राप्त आदेशों तथा श्रीमान शासन उप सचिव, कृषि (ग्रुप–3) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के पत्रांक प.8(10)कृषि–3/2022 दिनांक 26.05.2023 के तहत राजकीय उपक्रमों/स्वायत्तशासी निकायों/विश्वविद्यालय आदि संस्थाओं में, जहां एनपीएस लागू है या कोई भी योजना लागू नहीं थी, के संबंध में पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को विश्वविद्यालय में लागू करने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। समस्त सदस्यों द्वारा विचार विमर्श कर वित्त विभाग एवं कृषि विभाग, राजस्थान सरकार के उक्त आदेशों को अंगीकृत करने का निर्णय सर्वसम्मति से लेकर अनुमोदन किया गया।

कार्यवाही : वित्त नियंत्रक, कृषि विश्वविद्यालय, कोटा।

बोम–21/2023/02: राज्य सरकार द्वारा लागू की गई बजट घोषणा के अनुसार राजकीय उपक्रमों/स्वायत्तशासी निकायों/ विश्वविद्यालय आदि संस्थाओं में, *जहां सीपीएफ/ ईपीएफ लागू है, के संबंध में पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) का* विकल्प भरने वाले कार्मिकों के सम्बन्ध में राज्य सरकार से प्राप्त निर्देश विश्वविद्यालय में लागू किए जाने बाबत।

निर्णय : श्रीमान शासन सचिव, वित्त (बजट), वित्त विभाग (नियम अनुभाग), राजस्थान सरकार, जयपुर द्वारा क्रमांक प.13(12)वित्त(नियम)/2021 जयपुर

दिनांक 20.04.2023 के तहत राजकीय उपक्रमों/स्वायत्तशासी निकायों/विश्वविद्यालय आदि संस्थाओं में, जहां सीपीएफ/ईपीएफ लागू है, के संबंध में पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) लागू करने के सम्बध में प्राप्त आदेशों तथा श्रीमान शासन उप सचिव, कृषि (ग्रुप–3) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के पत्रांक प.8(10)कृषि–3/2022 दिनांक 26.05.2023 के तहत राजकीय उपक्रमों/स्वायत्तशासी निकायों/विश्वविद्यालय आदि संस्थाओं में, जहां सीपीएफ/ईपीएफ लागू है, के संबंध में पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को लागू करने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया तथा समस्त सदस्यों द्वारा विचार विमर्श कर वित्त विभाग एवं कृषि विभाग, राजस्थान सरकार के उक्त आदेशों को अंगीकृत करने का निर्णय सर्वसम्मति से लेकर अनुमोदन किया गया।

कार्यवाही : वित्त नियंत्रक, कृषि विश्वविद्यालय, कोटा।

अंत में, कुलसचिव एवं सचिव, प्रबंध मण्डल द्वारा सभी सदस्यों का आभार प्रकट करते हुए आसन के प्रति धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त की गई।

श्री एन. के. जैन,
कुलसचिव एवं सचिव,
प्रबन्ध मण्डल, कृषि विश्वविद्यालय, कोटा

12.06.2023

डॉ. ए. के. व्यास
कुलपति एवं अध्यक्ष,
प्रबन्ध मण्डल, कृषि विश्वविद्यालय, कोटा